आपदा प्रबंधन
सुरक्षित विद्यार्थी, सुरक्षित विद्यालय

केवल आनंद काण्डपाल*

धरती की आंतरिक हलचल और अन्य कारणों से अति-वर्षा, भूस्खलन, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक घटनाएँ घटित होती रहती हैं। प्रकृति में मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप आपदा की संभावनाओं में वृद्धि करते हैं। मानवजनित जटिलताएँ भी बहुत बार जोखिम को बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही, हमारे ज्ञान, कौशल एवं संवेदनशीलता के अभाव में आपदा जनित नुकसान बढ़ जाता है। हमें निरंतर संभावित आपदाओं के साए में जीवनयापन करना पड़ता है। इससे निरंतर भयभीत रहने के बजाय क्षमता विकास एवं समुचित तैयारी करना श्रेयस्कर है। कहा जाता है कि प्राकृतिक घटनाएँ प्रायः हानिकारक नहीं होती हैं, यह मनुष्य की लापरवाही, अज्ञानता और तैयारी का अभाव है, जो जोखिम को बढ़ा देता है। विद्यालय की अहम भूमिका विद्यार्थियों में समाज के लिए उपयोगी, ज़िम्मेदार एवं संवेदनशील मूल्यों का बीजारोपण करना है। इसमें आपदाओं के प्रति सजगता, संवेदनशीलता एवं सम्यक तैयारी भी शामिल है। इस लेख में आपदा प्रबंधन को लेकर नीतिगत दृष्टिकोण, आपदा प्रबंधन का आशय एवं उसके घटक विद्यालय एवं विद्यार्थी आपदा प्रबंधन में किस तरह से अपनी भूमिका निर्वहन कर सकते हैं? आदि को व्यावहारिक दृष्टि से जानने व समझाने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एन.ई.पी. 2020) द्वारा राज्यों को निर्देशित किया गया है 'राज्य, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण नामक एक स्वतंत्र, राज्य व्यापी निकाय की स्थापना करेंगे। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण कुछ बुनियादी मानकों (जैसे— बचाव, सुरक्षा का आधारभूत ढाँचा, कक्षाओं एवं विषय के आधार पर शिक्षकों की संख्या, वित्तीय ईमानदारी, और शासन की उपयुक्त प्रक्रिया) पर न्यूनतम मानकों की स्थापना करेगा, जिसका पालन सभी विद्यालयों को करना होगा।'[1] (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, अनुच्छेद 8.5, ग)। इससे उम्मीद की जा सकती है कि आगामी भविष्य में विद्यालय में विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण में अधिगम करने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे और संसाधन संबंधी चुनौतियाँ इसमें आड़े नहीं आएँगी। विद्यालय एक ऐसी औपचारिक संस्था है, जिससे समाज यह अपेक्षा करता है कि यह विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों का संवर्धन करे। भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है

**प्रधानाचार्य*, राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज मण्डलसेरा, जनपद-बागेश्वर, उत्तराखंड 263642

और इसके लिए भारतीय संविधान से मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्राप्त होता है। हमारा संविधान जिस प्रकार के समाज निर्माण की प्रेरणा देता है, उसके लिए समाज हेतु जिम्मेदार नागरिक एक आधारभूत शर्त है। शिक्षा का व्यापक लक्ष्य सुसंस्कृत एवं ज़िम्मेदार नागरिक हेतु उपयुक्त ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, ज़िम्मेदारी एवं संवेदनशीलता जैसे मूल्यों का विकास करना है। विद्यालयों की इसमें अहम भूमिका है। दरअसल शिक्षा 'भावी जीवन की तैयारी' के लिए किया जाने वाला व्यवस्थित औपचारिक उपक्रम है। इस तैयारी में आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य, जागरूकता, संवेदनशीलता, आपदा एवं खतरों से निपटने की क्षमता इत्यादि समाहित हैं। इस पृथ्वी के निवासियों को प्राकृतिक हलचलों (भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, दावाग्नि, वज्रपात आदि) के साथ-साथ जीवनयापन करना है, प्रकृति में मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप तथा दैनिक जीवन की भौतिक संसाधनों पर निर्भरता ने आपदा एवं जोखिम की आवृत्ति एवं गंभीरता को कुछ अधिक बढ़ा दिया है। ऐसी परिस्थिति में विद्यालय आपदा के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता एवं इसके बचाव के लिए क्षमता-निर्माण में अहम भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

संवेदनशील एवं ज़िम्मेदार नागरिक निर्माण हेतु विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों को भिन्न-भिन्न रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न करें तथा सृजनशील वातावरण प्रदान करें। विद्यालयों में विद्यार्थी प्रतिदिन 6 से 7 घंटे व्यतीत करते हैं, इस तरह वे संपूर्ण दिन का लगभग एक-तिहाई भाग विद्यालय परिसर में व्यतीत करते हैं। अतः यह अनिवार्य है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो। इस प्रकार का सुरक्षित वातावरण विद्यार्थियों में सीखने के लिए समुचित आत्मविश्वास एवं भावनात्मक अहसास उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है, जो सतत विकास लक्ष्य 2030 की दृष्टि से यह एक बहुमूल्य निवेश है।

आपदा प्रबंधन क्या है?

आपदा प्राकृतिक एवं मानव सृजित खतरों का परिणामी प्रभाव है। आपदा से आशय ऐसी कोई विपत्तिपूर्ण घटना (प्राकृतिक या मानव सृजित), विशेषरूप से ऐसी घटना से है, जो अचानक घटित हो और इससे जनहानि या संपत्ति की क्षति हो। हम कतिपय प्राकृतिक घटनाओं, जैसे— भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, आकाशीय बिजली गिरना आदि को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इनके कारण घटित जीवन एवं संपत्ति के नुकसान को कम करने के लिए उचित प्रबंधन द्वारा हानिकारक प्रभावों को कम कर सकते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005[2] में आपदा प्रबंधन को परिभाषित किया गया है, इसके अनुसार "आपदा प्रबंधन" से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरंतर एवं एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक है—

- किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण
- किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या कमी
- क्षमता निर्माण
- किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियाँ
- किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव

- किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिणाम का निर्धारण
- निष्क्रमण, बचाव और राहत
- पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण

इस प्रकार आपदा-प्रबंधन में आपदाओं के प्रभाव में कमी लाने, आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं, जैसे— तत्परता, प्रतिक्रिया, बचाव और संसाधनों की पुनर्प्राप्ति हेतु किए गए उपायों तथा दायित्वों के संयोजन एवं प्रबंधन को समाहित किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन योजना के चार प्रमुख घटक हैं— रोकथाम, शमन, प्रतिक्रिया, प्रतिलाभ।

पारिभाषिक शब्दावली

- **जोखिम**— आपदा के संदर्भ में जीवन, स्वास्थ्य, आजीविका, संपत्ति और सेवाओं का संभावित नुकसान है, जो किसी व्यक्ति, समुदाय या समाज विशेष को निर्दिष्ट भविष्य की समयावधि में किसी आपदा से हो सकता है।
- **संभावित खतरे**— संभावित खतरा कोई वस्तु, स्थिति या व्यवहार हो सकता है, जो स्वास्थ्य, जीवन, संपत्ति या पर्यावरण को हानि पहुँचा सकता है या पहुँचाने की क्षमता रखता है।
- **भेद्यता**— भेद्यता किसी प्रणाली या इकाई की उस अक्षमता को कहा जा सकता है, जिससे वह किसी प्रतिकूल वातावरण या घटना को सह नहीं सकता है। अभेद्यता की खिड़की (vulnerability window) वह समय सीमा है, जिस अवधि में आत्म-रक्षा या सुरक्षा की स्थिति समाप्त हो जाती है।
- **आपदा संबंधी क्षमता**— आपदा संबंधी क्षमता निर्माण निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है, जो संबंधित संस्था या हितधारक को किसी आपदा के समय या उसके बाद बेहतर तरीके से सामना करने के लिए आवश्यक क्षमता (ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियों) से सुसज्जित करती है।

आपदा प्रबंधन में विद्यालय की भूमिका

यह प्रश्न स्वाभाविक हो सकता है कि विद्यार्थी तो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं फिर आपदा प्रबंधन जैसे जटिल एवं जोखिमपूर्ण कार्यों या गतिविधियों में उन्हें संलग्न क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि (पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक) यह ऐसे औपचारिक स्थल हैं, जहाँ एक समय में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीगण लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं। ये सभी कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, ऑडिटोरियम, सेमिनार कक्ष आदि में हो सकते हैं, जहाँ से आपदा के समय सुरक्षित बाहर निकलने में अधिक चुनौतियाँ हो सकती हैं। यदि आधारभूत संरचनाएँ जटिल, कमजोर एवं जीर्ण-शीर्ण हों तो यह जीवन के जोखिम कई गुना बढ़ जाते हैं। यह इस दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है कि विद्यार्थी जिस समुदाय या समाज से आते हैं, वे उन समुदायों या समाजों में जागरूकता फैलाने और संवेदनशीलता विकसित करने में परिवर्तनकारी की भूमिका निर्वहन कर सकते हैं। यहाँ पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि परिवार में विद्यार्थियों की बात ध्यान से सुनी जाती है। उनकी बातों पर ध्यान दिया जाता

है। अंततः इसका सकारात्मक प्रभाव समुदाय या समाज पर पड़ता है।

विद्यार्थियों में आपदा प्रबंधन क्षमता का विकास

प्रायः कहा जाता है कि तैयारी, बचाव से हमेशा बेहतर है। मौजूदा समय में हम जिस जटिल संरचनापूर्ण ढाँचे में रह रहे हैं, उसने आपदा जोखिमों को बढ़ाया ही है। विद्यालय भी इसके अपवाद नहीं हो सकते हैं। इन आपदा जोखिमों को कम करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता का विकास किया जाए, जिससे खतरे एवं भेद्यता के गुणित प्रभाव को कम किया जा सके। समझने के लिए सरल बनाने की दृष्टि से इसे निम्नलिखित गणितीय फार्मूले के रूप में समझा जा सकता है—

आपदा जोखिम[1] (Risk) = संभावित खतरे[2](Hazards) X भेद्यता[3] (Vulnerability)/आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता[4] (Capacity to manage the disaster)

अतः आपदा संबंधी जोखिम संभावित खतरों एवं भेद्यता से बहुगुणित हो जाता है। इसे कम करने के लिए आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता विकसित करना बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न यह है कि विद्यालयों या शिक्षा संस्थानों में यह कार्य किस प्रकार से किया जा सकता है? विद्यालय में यह क्षमता दो स्तर पर विकसित की जा सकती है। प्रथम, विद्यालय में संभावित खतरों को चिह्नित करना, भेद्यता को कम करना, आपदा जोखिमों को न्यूनतम स्तर पर लाना और द्वितीय, विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का आपदा जोखिम हेतु क्षमता संवर्धन करना।

संस्थागत स्तर पर आपदा जोखिम को न्यूनतम करना

आपदा प्रबंधन की दृष्टि से विद्यालय स्तर पर आपदा जोखिमों को नगण्य अथवा न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए निम्नलिखित उपक्रम करने आवश्यक हैं—

- संभावित खतरों को चिह्नित करना तथा उन खतरों को यथा समय दूर करने के लिए प्रभावी उपाय करना। यहाँ पर एक वास्तविक घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। किसी प्रारंभिक विद्यालय के रास्ते में बिजली के तार बहुत नीचे तक लटके हुए थे। इस खतरे पर किसी का ध्यान नहीं गया। बरसात में एक विद्यार्थी की छतरी उस तार को छू गई तथा उस विद्यार्थी की झुलसने से मृत्यु हो गई। यह हादसा संभावित खतरे को समय पर न पहचानने एवं उसे दूर न करने के कारण ही हुआ। अतः यह आवश्यक है कि समूचे विद्यालय परिसर में और उसके बाहर आस-पास इस प्रकार के जोखिमों की पहचान की जाए और उनका निवारण करने हेतु समय रहते उपाय किए जाएँ।
- शिक्षा संस्थाओं से अपेक्षा रहती है कि वे अपनी विद्यालय सुरक्षा योजना तैयार करें। इसमें मुख्यतः स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के पहलुओं का संज्ञान लिया जाता है, जैसे— स्वच्छ पेयजल, साफ-सुथरे शौचालय,

विद्यालय का स्वच्छ परिवेश आदि परंतु इसमें आपदा जोखिम के दृष्टिगत महत्त्वपूर्ण पहलुओं की जाने-अनजाने उपेक्षा की जाती है। अतः यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबंधन संबंधी कार्ययोजना, विद्यालय सुरक्षा योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। इसमें आपदा से पूर्व तैयारी के क्रम में विद्यालय के हितधारकों के मध्य निरंतर संवाद, छद्म अभ्यास (Mock Drill), राहत एवं बचाव संबंधी सामग्री की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार किट, आपदा की तैयारी एवं बचाव से संबंधित महत्त्वपूर्ण दूरभाष नंबर, आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य हेतु समुदाय के साथ नेटवर्किंग आदि महत्त्वपूर्ण बिंदु सम्मिलित किए जाने चाहिए।

- माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एन.सी.सी.) एवं राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.सी.सी.) इकाइयाँ होती हैं। इनके माध्यम से विद्यार्थियों में देश-सेवा एवं हेतु मूल्यों का बीजारोपण किया जाता है। इनके माध्यम से एन.सी.सी. कैडेट्स एवं एन.एस.एस. स्वयं सेवकों का इस तरह से क्षमता संवर्धन किया जा सकता है कि आपदा से पूर्व बचाव के प्रति चेतना एवं जन-जागरूकता का प्रसार करने में इनके कौशलों एवं समझ का सदुपयोग किया जा सके। आपदा के बाद बचाव एवं राहत कार्यों के लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है, इससे अतिरिक्त प्राथमिक उपचार हेतु भी आवश्यक प्रशिक्षण देकर क्षमता संवर्धन किया जा सकता है।
- सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि आपदा प्रबंधन संबंधी शिक्षा हमारी विद्यालयी और उच्च शिक्षा पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग होनी चाहिए। उत्तराखंड में वर्तमान परिदृश्य यह है कि कक्षा 9 एवं 10 में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन संबंधी एक पुस्तक सम्मिलित की गई है, परंतु व्यवहार में इस पुस्तक को कक्षा में पठन-पाठन अपेक्षित दर्जा नहीं दिया जाता है। आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता निर्माण एवं तैयारी केवल आपदा के समय या उसके बाद की जाने वाली प्रतिक्रिया मात्र नहीं है, वरन यह हमारे नागरिक जीवन के व्यवहार का एक आवश्यक हिस्सा है और इसके लिए निरंतर तैयारी, सजगता एवं संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। विद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों में आपदा प्रबंधन संबंधी पाठ्यचर्या को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।
- विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसका आशय यह है कि विद्यालय में जो चीज़ें, व्यवहार एवं संस्कृति परिलक्षित होती हैं, वह सभी विद्यार्थियों के समुदाय या समाज में भी मौजूद होती हैं। विद्यार्थी विद्यालय के बाद शेष समय इसी समुदाय या समाज में बिताते हैं। अतः समुदाय एवं समाज में भी आपदा से निपटने, बचाव के लिए क्षमता

संवर्धन की आवश्यकता है, जिससे विद्यार्थी विद्यालय एवं उसके बाहर अपने सामुदायिक या सामाजिक परिवेश में सुरक्षित रहें। इसके लिए आपदा प्रबंधन हेतु समुदाय के साथ नेटवर्किंग, आपदा के दृष्टिगत राहत एवं बचाव कार्य हेतु संसाधनों का चिह्नांकन, नियोजन आदि आवश्यक उपक्रम बहुत आवश्यक हो जाते हैं।

- विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अध्यापक-अभिभावक संघ की बैठकें, वार्षिकोत्सव आदि कई ऐसे अवसर होते हैं, जब माता-पिता या अभिभावकों एवं समुदाय के अन्य हितधारकों का विद्यालय में समागम होता है। इन अवसरों को भी आपदा प्रबंधन संबंधी जागरूकता का प्रसार करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इन सभी के समक्ष विद्यालय की आपदा प्रबंधन संबंधी योजना को साझा किया जा सकता है, छद्म अभ्यास का प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है। इसके साथ ही, विद्यार्थियों की आपदा प्रबंधन संबंधी जिज्ञासाओं पर चर्चा की जा सकती है। इन सभी का प्रभावी परिणाम यह होगा कि आपदा प्रबंधन संबंधी जागरूकता एवं जन-चेतना का प्रचार होगा और समुदाय की आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता का संवर्धन भी होगा।
- विद्यालयों में विद्यालय सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिक उपचार पेटी की अपेक्षा की गई है। यह न केवल उपलब्ध होना चाहिए बल्कि प्राथमिक उपचार में विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों का दल प्रशिक्षित भी होना चाहिए। आपदा घटित होने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों के पहुँचने तक इस दल की अहम भूमिका होती है। समय-समय पर इस प्राथमिक उपचार पेटी से माता-पिता या अभिभावकों एवं समुदाय को भी अभिमुखीकृत किया जाना चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि परिवारों में भी इस तरह के प्राथमिक उपचार पेटी को रखने की प्रवृत्ति विकसित होगी। आपदा के दृष्टिगत यह एक बहुमूल्य निवेश सिद्ध हो सकता है।

विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का आपदा जोखिम के संबंध में क्षमता संवर्धन करना

आपदा प्रबंधन की संस्थागत योजना एवं तैयारी की सफलता के लिए आवश्यक है कि इसे क्रियान्वित करने के लिए संबंधित हितधारकों का क्षमता संवर्धन किया जाए। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि एक लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का व्यापक लक्ष्य विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, मूल्य, ज़िम्मेदारी तथा संवेदनशीलता का इस तरह से बीजारोपण करना है कि आगामी भविष्य में उपयोगी एवं ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित हों, इस तरह से प्रशिक्षित हो सकें कि आपदा एवं संकट के समय सुरक्षित रहें, इतने संवेदनशील हों कि आपदा या संकट के समय बचाव एवं राहत कार्यों में बढ़-चढ़कर आगे आ सकें तथा अपना योगदान दे सकें। हम एक ऐसे व्यक्ति से आपदा या संकट के समय योगदान की अपेक्षा नहीं कर सकते, जिस व्यक्ति का इस दृष्टि

से क्षमता संवर्धन नहीं है। सामान्यत: इस तरह से अप्रशिक्षित व्यक्ति आपदा या संकट के समय अपने कार्य-व्यवहार से आपदा जोखिम को कम नहीं करते बल्कि बढ़ाते ही हैं। अतः आपदा जोखिम के दृष्टिगत क्षमता-संवर्धन के लिए निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कदम उठाये जाने आवश्यक हैं—

- किसी आपदा के परिणाम को सतही तौर पर देखने से यह महसूस हो सकता है कि इससे अमुक व्यक्ति या परिवार या समुदाय प्रभावित हुआ है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ या हम सुरक्षित हैं। यह व्यवहार संवेदनहीनता को परिलक्षित करता है। व्यक्ति के रूप में हम किसी सामाजिक इकाई का अभिन्न अंग हैं, अतः हम समाज के किसी भी हिस्से पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बहुत लंबे समय तक पृथक नहीं रह सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता होती है। इस तरह की संवेदनशीलता को केवल कक्षा-कक्ष में किसी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विकसित करना संभव नहीं है। इसके लिए आपदा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में रह रहे लोगों की पहचान, निरंतर संवाद द्वारा उन्हें जागरूक करना, आपदा से पूर्व तैयारी के लिए शिक्षित करने, प्राथमिक उपचार पेटी तैयार करने एवं उपयोग करने का प्रशिक्षण देना, आपदा के दौरान उपयुक्त वांछनीय व्यवहार का मॉडल प्रस्तुत करना, आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य हेतु छद्म अभ्यास करते हुए विद्यार्थियों में यह संवेदनशीलता विकसित की जा सकती है। इस प्रकार की प्रायोगिक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें आपदा संबंधी जोखिमों के लिए तैयार किया जा सकता है।
- विद्यालय सुरक्षा योजना एवं आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके दो स्पष्ट लाभ हैं। पहला, विद्यार्थी ऐसी योजना से जुड़ाव महसूस करेंगे, उनमें अपनत्व की भावना विकसित होगी। दूसरा, आपदा के दौरान और उसके बाद अपनी भूमिका या कार्यदायित्वों से संसूचित रहेंगे। उदाहरण के लिए, आपदा के दौरान कक्षा-कक्ष से विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ज़िम्मेदार टोली को अपनी भूमिका या कार्य के बारे में स्पष्टता रहेगी। इसी प्रकार आपदा के बाद समुदाय, आपदा राहत एवं बचाव दल को सूचित करने के लिए ज़िम्मेदार टोली या दल को यह मालूम रहेगा कि आवश्यकता पड़ने पर किन व्यक्तियों या संस्थाओं को किस प्रकार से सूचित किया जाना है।
- आपदाएँ कभी भी पूर्व सूचना देकर नहीं आतीं। बहुत बार तो ये ऐसे समय में घटित होती हैं, जब हम किंचित् निश्चिंत और लापरवाह रहते हैं। अतः इसके लिए निरंतर तैयारी एवं सजगता बहुत जरूरी है। इसके लिए निरंतर छद्म अभ्यास की

आवश्यकता होती है। यह छद्म अभ्यास इसलिए भी आवश्यक है कि निरंतर अभ्यास से यह हमारे अचेतन व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। यह व्यवहार आपदा के दौरान संतुलित एवं धैर्यशील कार्य-व्यवहार एवं आचरण में अत्यंत उपयोगी हो जाता है। प्रायः देखा गया है कि आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद भी बहुत बार घबराहट एवं जल्दबाजी में जान-माल का जोखिम बढ़ जाता है।

- विद्यालय में विभिन्न विषयों में (विशेषकर सामाजिक विज्ञान विषय में) विद्यार्थियों को सामाजिक समस्याओं को लेकर परियोजना कार्य करने होते हैं। अतः आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत खतरों का चिह्नांकन, भेद्यता मैपिंग आदि परियोजना कराई जा सकती हैं। ब्लड ग्रुप डायरेक्टरी तैयार करने संबंधी व्यावहारिक परियोजना की जा सकती हैं। यह उपक्रम एक ओर तो विद्यार्थियों की क्षमता का संवर्धन करेगा और वहीं दूसरी ओर समुदाय या समाज में जागरूकता एवं जन-चेतना के प्रचार एवं प्रसार में सहायक होगा।
- माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. इकाइयाँ कार्य करती हैं। इन इकाइयों में विद्यार्थी कैडेट्स या स्वयं सेवक के रूप में समाज सेवा का पाठ सीखते हैं। इन कैडेट्स या स्वयं सेवकों का क्षमता संवर्धन किया जाना चाहिए। जिला आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण विभाग इस तरह के क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण लगातार आयोजित करता रहता है। कैडेट्स या स्वयं सेवकों को ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के यथोचित अवसर मिलने चाहिए। कैडेट्स या स्वयं सेवकों को आपदा प्रबंधन संबंधी जन जागरूकता के प्रसार, आपदा के बाद खोज एवं बचाव, राहत कार्यों में भूमिका के लिए क्षमता संवर्धन किया जा सकता है।
- विद्यार्थी अपने परिवार या समुदाय या समाज में परिवर्तनकारी की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। यदि कोई जोशीला नवयुवक (यदि दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, युवा वर्ग) आपदा के बारे में रूढ़िगत मान्यताओं, विश्वासों को चुनौती देता है, आपदा के दृष्टिगत तार्किक तथ्य रखता है, तो उसकी बात अनसुनी नहीं की जा सकती है। आपदा के दृष्टिगत जागरूकता एवं संवेदनशीलता का अभाव, समुचित तैयारी के प्रति उदासीनता के प्रमुख कारणों में से एक है नियतिवाद, अर्थात जो भाग्य में लिखा होगा, वह तो होकर ही रहेगा, यह मान्यता एवं विश्वास समुचित तैयारी में व्यवधान उपस्थित करता है। इस रूढ़िवादिता को दूर करने में विद्यार्थी अहम भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि विद्यार्थी यह करने में तभी सक्षम हो सकते हैं, जब उनका क्षमता संवर्धन किया जाए तथा उनको विद्यालयी पाठ्यचर्या में इस तरह के अवसर दिए जाएँ।

- विद्यार्थियों में (विशेषकर किशोर एवं युवा विद्यार्थियों में) ऊर्जातिरेक और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का स्वाभाविक जज़्बा होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा को समाज हित में सदुपयोग करने की दृष्टि से भी विद्यार्थियों का क्षमता संवर्धन करने, आपदा प्रबंधन में सम्यक भूमिका है। इससे न केवल समुदाय या समाज लाभांवित होगा वरन विद्यार्थी आत्मविश्वास से युक्त स्वावलंबी नागरिक बन सकेंगे।
- आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों में योगदान के लिए कैडेट्स या स्वयं सेवकों की सहायता ली जा सकती है। यथा—आपदा प्रभावितों के लिए वस्त्र, बर्तन, भोजन, दवाइयाँ आदि के वितरण कार्य में सहभागिता, उक्त सामग्री को समुदाय से दान में प्राप्त करने के लिए अभियान, दान आदि एकत्रित करने में सहभागिता। ऐसी सहभागिता विद्यार्थियों में अपने समुदाय या समाज के साथ जुड़ाव एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करती है।

वर्तमान वस्तु-स्थिति एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य

वर्तमान संदर्भ में आपदा के लिए सुरक्षात्मक तैयारियों की वस्तु-स्थिति एवं नीतिगत परिप्रेक्ष्य की चर्चा करना समीचीन होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मत्रालय के अंतर्गत 24 सितंबर 1969 से उच्च शिक्षा स्तर पर लागू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर सहभागिता की जाती है। वर्ष 1988 से इसे विद्यालयी स्तर पर लागू किया गया। इस योजना के संचालन के लिए बजटीय अनुदान भारत सरकार से प्राप्त होता है। विगत 5–6 वर्षों से यह अनुदान विद्यालयों को समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे इस योजना के अंतर्गत सामान्य एवं विशेष शिविरों के संचालन में कमोबेश व्यवधान आता रहा है। इसी प्रकार से भारत में एन.सी.सी. की शुरुआत 15 जुलाई 1948 से हुई। बाद के वर्षों में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका विस्तार विद्यालयी स्तर तक किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य युवाओं में अनुशासन, साहस, सेवा एवं सहायता के मूल्यों का अमुचित बीजारोपण करके लोकतंत्र के उपयुक्त एवं समाजोपयोगी नागरिक चरित्र का निर्माण करना है। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अभी भी हमारे देश के समस्त माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना एवं एन.सी.सी. से लागू नही की गई है। इस सदंर्भ में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है 'रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में राज्य सरकारों को जनजाति बहुल प्रदेशों सहित अपने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एन.सी.सी. विंग खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।'[3] माध्यमिक विद्यालयों में आपदा के दृष्टिगत एक अन्य अभ्यास अपनाया जाता है, वह यह कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने विद्यालय के लिए 'विद्यालय सुरक्षा योजना' तैयार करेंगे। इस प्लान में आपदा से संबंधित जोखिम एवं खतरों को रेखांकित करने की अपेक्षा भी रहती है। विद्यालय कमोबेश 'विद्यालय

सुरक्षा योजना' बनाते भी हैं। प्रायः इस विद्यालय सुरक्षा योजना का संज्ञान जनपद के जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भी नहीं लिया जाता। इसके क्रियान्वयन के लिए समुचित संसाधन के अभाव में यह विद्यालयों के लिए मात्र वार्षिक गतिविधि बनकर रह जाती है। विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (एन.सी.एफ.एस.ई., 2023) में विद्यालयों में आपदा प्रबंधन से संबंधित उपयोगी परामर्श दिया गया है। इस रूपरेखा में कहा गया है कि विद्यालयों में 'निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुरक्षित, बाधामुक्त और पर्याप्त भौतिक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध होना चाहिए। भवन एवं उपकरणों के संदर्भ में नियमानुसार सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। बुनियादी ढाँचे के विकास, रखरखाव और शिक्षण अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.) के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध होना चाहिए।'[4] इतना ही नहीं यह रूपरेखा विद्यालयी सुरक्षा के दृष्टिगत अति सूक्ष्म पहलुओं पर बहुत ही उपयोगी परामर्श एवं निर्देशन करती है। मसलन, सुरक्षा की दृष्टि से 'आंतरिक बुनियादी ढाँचे (कक्षा-कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भोजन-कक्ष, पेयजल, शौचालय, विद्युत आदि), बाह्य बुनियादी ढाँचे (विद्यालय परिसर की दीवार, खेल एवं सभा के लिए सुरक्षित स्थान आदि) तथा आपातकालीन स्थिति के दौरान सुरक्षा के बारे में व्यावहारिक परामर्श देती है।'[5] जहाँ तक विद्यालय आपदा प्रबंधन संबंधी योजना को अमल में लाने का प्रश्न है, सरकारी माध्यमिक विद्यालय वित्तीय संसाधनों की सतत चुनौती का सामना करते हैं। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय विकास योजना हेतु प्रतिवर्ष, छात्र संख्या के आधार पर 25000 से 75000 रूपये प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय के लिए पुस्तकों हेतु, क्रीड़ा सामग्री एवं यूथ एवं इको क्लब हेतु निर्धारित धनराशि प्राप्त होती है।'[6] 'इससे संभावित आपदा के जोखिमों के दृष्टिगत एवं सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सीमित स्तर पर कार्य संभव हो पाता है, यथा: छोटी-मोटी मरम्मत, बिजली फिटिंग की मरम्मत, अग्निशमन संबंधी उपकरणों की व्यवस्था आदि परंतु विद्यालय की जीर्ण-क्षीण संरचना की वृहत्त मरम्मत एवं पुनर्निर्माण संभव नहीं है।

निष्कर्ष

आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञों का अभिमत है कि आपदा के घटित होने पर जान-माल का बचाव करने की प्रथम दृष्टया ज़िम्मेदारी उस व्यक्ति विशेष की होती है, जो आपदा से प्रभावित हुआ है। बचाव दल और अन्य सहायक एजेंसियों के पहुँचने में हमेशा कुछ समय लगता ही है। इससे पहले आपदा प्रभावित व्यक्ति किस तरह से और किस सीमा तक अपने जान-माल की रक्षा करने में कामयाब हो सका है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपदा के दृष्टिगत उसकी संवेदनशीलता, तैयारी, क्षमता संवर्धन किस स्तर का है? इसके साथ-साथ यह बात भी सही है कि किसी भी आपदा का सामना करने और इसके दुष्प्रभावों से उबरने में अकेला व्यक्ति या परिवार या समाज हमेशा समर्थ नहीं हो सकता है। अतः बचाव एवं राहत, पुनर्वास के लिए दूसरों पर निर्भरता बनी रहेगी। इसके लिए सरकार, गैर-सरकारी संस्थाएँ विभिन्न सामाजिक संगठन अपने-अपने स्तर

पर काम करते ही हैं, परंतु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण यह बात है कि इन सभी एजेंसियों के पहुँचने से पहले एकदम निकटवर्ती व्यक्ति या व्यक्तियों या समुदाय किस तरह से अपना योगदान देते हैं व भूमिका निर्वहन करते हैं। जान-माल की क्षति को न्यूनतम करने में यह हस्तक्षेप बहुमूल्य होता है। इसके लिए संवेदनशीलता एक अहम तत्त्व है, यही एक निर्णायक घटक है कि सक्षम एवं समर्थ व्यक्ति, आपदा प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों की सहायता के लिए आगे आते हैं, बिना किसी प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा के निरंतर जुटे रहते हैं। विद्यालय, विद्यार्थियों में इस संवेदनशीलता को पोषित एवं विकसित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वस्तुतः विद्यालयों को उपर्युक्त कार्य करते रहना चाहिए क्योंकि एक समावेशी एवं संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए यह बहुत आवश्यक है। विद्यालय यह करने में तभी समर्थ हो सकेंगे जब न केवल नीतिगत स्तर पर विद्यालयों को सतत समर्थन मिलता रहे, वरन संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता रहे। इसके साथ-साथ विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यार्थियों का आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत सतत उन्मुखीकरण एवं क्षमता संवर्धन करना भी समान रूप से आवश्यक है।

संदर्भ

[1] मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भारत सरकार. नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 49.

[2] भारत सरकार. 2005. *आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005*. (2005 का अधिनियम संख्यांक 53). 23 दिसंबर 2005. भारत का राजपत्र असाधारण. पृष्ठ संख्या 2.

[3] मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नई दिल्ली. पृष्ठ संख्या 43.

[4] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. नई दिल्ली. पृष्ठ संख्या 552.

[5] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. नई दिल्ली. पृष्ठ संख्या 556–57.

[6] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. *विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023*. नई दिल्ली. पृष्ठ संख्या 556–57.